



आदेश

रायपुर, दिनांक 21 /06/2024

क्रमांक 2847/12301/2022/रास/यू-4 :: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 17-ए में निहित प्रावधान अंतर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर) को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है।

2/. श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर) को कुलपति के पद से हटाये जाने के फलस्वरूप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में नये कुलपति की नियुक्ति होने तक संभागायुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति का दायित्व सौंपा जाता है।

(यशवंत कुमार)
राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 21 /06/2024

पृष्ठां. क्रमांक/2848/12301/2022/रास/यू-4,
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
3. संभागायुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग।
4. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।
5. श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर (ममता चन्द्राकर), कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।
6. कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।
7. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर उक्त आदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 21/06/2024 में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़